



2026:AHC:171182

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट-ए संख्या - 17151 सन् 2017**

रईस हसन

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी

|                           |   |                                  |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता | : | सुशील कुमार राव, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| प्रतिवादी गण के अधिवक्ता  | : | मुख्य स्थायी अधिवक्ता            |

**न्यायालय संख्या - 34**

(क्रम संख्या 13)

**माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता**

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओ.पी. सिंह, जिनकी सहायता याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार राव द्वारा की गई, तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव को सुना।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:

“(i) उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के प्रमुख सचिव/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 09.03.2017 के आक्षेपित आदेश (रिट याचिका के संलग्नक संख्या 24) को निरस्त किया जाए।

(ii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 को याचिकाकर्ता को दिनांक 12.06.2000 के निलंबन आदेश (रिट याचिका के संलग्नक संख्या 7) की तारीख से उसके दिनांक 23.08.2001 को निरसन की तारीख (रिट याचिका के संलग्नक संख्या 14) तक का पूर्ण मासिक वेतन, वास्तविक भुगतान किए जाने की तारीख तक 18 प्रतिशत ब्याज सहित, प्रदान करने का आदेश दिया जाए।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



(iii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को दिनांक 01.06.1998 से याचिकाकर्ता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा (वी.आर.एस.) के दिनांक 23.08.2001 के आदेश की स्वीकृति की तारीख तक वेतन प्रदान करने तथा शासनादेश दिनांक 24.08.1977 (रिट याचिका के संलग्नक संख्या 21) के अनुसार पेंशन की गणना के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त 5 वर्ष की सेवा जोड़ने और दिनांक 23.08.2001 की उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर याचिकाकर्ता की संशोधित पेंशन की गणना करने का आदेश दिया जाए।

(iv) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादियों को शासनादेश दिनांक 24.08.1977 (रिट याचिका के संलग्नक संख्या 21) तथा सहायक लेखा अधिकारी/निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा पारित दिनांक 26.02.2007 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को दिनांक 01.05.1998 से आगे तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा (वी.आर.एस.) के समस्त लाभ, सभी परिणामी लाभों सहित, प्रदान करने का आदेश दिया जाए।”

3. प्रकरण के संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि यहां याचिकाकर्ता सिंचाई कार्यशाला, नैनी, इलाहाबाद के कार्यालय में अधिशासी अभियंता, सिंचाई/कार्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत था और याचिकाकर्ता बीमार पड़ गया तथा बिस्तर पर रहने के लिए विवश हो गया। उसने दिनांक 25.04.1998 से चिकित्सा उपचार लेना प्रारंभ किया और याचिकाकर्ता को दिनांक 01.05.1998 से 31.05.1998 तक चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया गया था, जिसे प्रतिवादी संख्या 3, मुख्य अभियंता (यांत्रिक) द्वारा विधिवत स्वीकृत किया गया था।

4. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि तत्पश्चात् चिकित्सा उपचार के बावजूद याचिकाकर्ता की स्थिति खराब होती गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.06.1998 से 02.08.1998 तक दो माह के चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता को चिकित्सा अवकाश उपलब्ध होने के बावजूद उसे उक्त अवकाश प्रदान नहीं किया गया। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता का कथन है कि वह अपने उपचार के लिए हैदराबाद चला गया, जहां उसकी पत्नी और बच्चे निवास कर रहे थे और वहां से वह लगातार चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन भेजता रहा तथा



चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किए जाने का अनुरोध करता रहा, किंतु उसे उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया।

5. तत्पश्चात् दिनांक 22.04.2000 के आदेश द्वारा उसका स्थानांतरण अधिशासी अभियंता (सिंचाई), बहराइच के पद पर कर दिया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश की जानकारी होने के पश्चात्, अपनी चिकित्सीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने दिनांक 17.05.2000 को सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। तत्पश्चात् दिनांक 12.06.2000 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 01.06.1998 से अनधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर निलंबित कर दिया गया और उसे अभियंता-प्रमुख (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया। दिनांक 27.01.2001 के आदेश द्वारा उसने दिनांक 04.08.2000 के अपने पत्र के माध्यम से निलंबन आदेश का प्रत्युत्तर दिया, जिसमें सूचित किया गया कि वह बीमार है और सेवा में शामिल होने की स्थिति में नहीं है तथा चिकित्सा उपचार करा रहा है।

6. दिनांक 12.06.2000 के निलंबन आदेश से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 42737 सन् 2000 दाखिल की, जिसे दिनांक 14.02.2001 के आदेश द्वारा निस्तारित करते हुए प्रतिवादियों को प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिमानतः तीन माह के भीतर जांच पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। दिनांक 14.02.2001 के आदेश से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने संशोधन/स्पष्टीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् दिनांक 04.05.2001 के आदेश द्वारा दिनांक 14.02.2001 के आदेश में संशोधन किया गया, जिसके द्वारा प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के दिनांक 17.05.2000 एवं 24.06.2000 के प्रत्यावेदनों में किए गए अनुरोध के अनुसार उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने तथा चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.05.2001 को जारी उपर्युक्त निर्देश के अनुपालन में दिनांक 23.08.2001 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 17.05.2000 को प्रस्तुत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को स्वीकार एवं स्वीकृत कर लिया गया तथा दिनांक 23.08.2001 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गई। इसी तारीख अर्थात् 23.08.2001 को



पृथक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 01.06.1998 से 22.08.2001 तक बिना वेतन के अवकाश भी स्वीकृत किया गया, जो कुल 1,178 दिनों का था।

7. याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु क्षेत्रीय चिकित्सा बोर्ड, इलाहाबाद के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 02.08.2002 के पत्र द्वारा क्षेत्रीय बोर्ड, इलाहाबाद के सचिव ने याचिकाकर्ता के चिकित्सीय परीक्षण के पश्चात् अधीक्षण अभियंता (सिंचाई), लखनऊ को सूचित किया कि याचिकाकर्ता सेवा में शामिल होने के लिए अयोग्य है तथा उसे छह सप्ताह तक बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई है। निलंबन आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच कार्यवाही भी प्रारंभ की गई और जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकपक्षीय जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तथापि, जांच रिपोर्ट में जांच अधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता बीमार था।

8. दूसरे आदेश से क्षुब्ध होकर, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 01.06.1998 से 22.08.2001 तक बिना वेतन के अवकाश स्वीकृत किया गया था, यहां याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 27167 सन् 2004 दाखिल की, जिसे दिनांक 21.07.2004 के आदेश द्वारा निस्तारित करते हुए प्रतिवादियों को दिनांक 23.08.2001 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 1,178 दिनों का बिना वेतन का अवकाश स्वीकृत किया गया था। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2004 को जारी निर्देशों के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता ने नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 19.10.2004 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किए जाने के लिए आवेदन संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के बिना प्रस्तुत किया गया था, इसलिए चिकित्सा अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। दिनांक 19.10.2004 के निर्णय एवं आदेश तथा दिनांक 23.08.2001 के आदेश से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने पुनः **रिट याचिका संख्या 60572 सन् 2005** दाखिल की, जिसे दिनांक 12.07.2016 के निर्णय एवं आदेश द्वारा निम्नलिखित शर्तों में निस्तारित किया गया:

*“1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओ.पी. सिंह को सुना ।*

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



2. यह रिट याचिका सिंचाई विभाग के सचिव द्वारा पारित दिनांक 23.08.2001 के आदेश (रिट याचिका के संलग्नक 10) के विरुद्ध दाखिल की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की दिनांक 01.06.1998 से 22.08.2001 तक की अनुपस्थिति को बिना वेतन के अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया था।

3. याचिकाकर्ता का दावा है कि उक्त अवधि को चिकित्सा आधार पर अवकाश माना जाना चाहिए था और इस संबंध में उसने एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 19.10.2004 के आक्षेपित आदेश (रिट याचिका के संलग्नक 16) द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के अनुच्छेद 3(2)(3) में कहा गया है कि अनुपस्थिति की अवधि को चिकित्सा आधार पर अवकाश नहीं माना जाएगा, क्योंकि याचिकाकर्ता इलाहाबाद में चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और उसने कोई चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया; अतः चिकित्सा आधार पर अवकाश स्वीकार्य नहीं था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान क्षेत्रीय चिकित्सा बोर्ड के सचिव द्वारा जारी दिनांक 02.08.2000 के प्रमाण-पत्र की ओर आकर्षित किया, जिसमें यह सत्यापित किया गया था कि याचिकाकर्ता स्वस्थ नहीं था तथा यह संस्तुति की गई थी कि उसे छह सप्ताह की अवधि तक आगे उपचार कराना चाहिए। उक्त प्रमाण-पत्र की प्रति रिट याचिका के संलग्नक 6 के रूप में दाखिल की गई है। उक्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र का उल्लेख रिट याचिका के अनुच्छेद 14 एवं 15 में किया गया है।

5. प्रतिवादियों द्वारा दाखिल प्रति-शपथपत्र में रिट याचिका के अनुच्छेद 14 एवं 15 को स्वीकार किया गया है और यह भी स्वीकार किया गया है कि इलाहाबाद के चिकित्सा बोर्ड ने छह सप्ताह के लिए आगे उपचार की संस्तुति की थी। जब यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता बीमार था और चिकित्सीय कारणों से इयूटी पर उपस्थित होने की स्थिति में नहीं था, जिसकी चिकित्सा बोर्ड द्वारा विधिवत पुष्टि की गई थी, तब इस आधार पर चिकित्सा आधार पर अवकाश अस्वीकार करना और उक्त अवधि के लिए बिना वेतन का अवकाश स्वीकृत करना कि याचिकाकर्ता द्वारा चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत है। अतः



आक्षेपित आदेश, जहां तक वह चिकित्सा आधार पर अवकाश स्वीकृत करने से इनकार करता है और इसके स्थान पर बिना वेतन का अवकाश स्वीकृत करता है, स्पष्टतः अवैध है और कायम नहीं रखा जा सकता।

6. परिणामतः, रिट याचिका स्वीकृत की जाती है। दिनांक 23.08.2001 का आदेश (रिट याचिका का संलग्नक 10) तथा दिनांक 19.10.2004 का आदेश (रिट याचिका का संलग्नक 16) दोनों एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं। सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त टिप्पणियों के आलोक में विधि के अनुसार नया आदेश शीघ्रता से तथा किसी भी स्थिति में इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर पारित करे। इसके पश्चात् वह विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्तिक लाभों की संस्तुति/निर्धारण करेगा तथा यदि कोई देय राशि हो, तो उसे अगले तीन माह के भीतर भुगतान करेगा।”

9. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त प्रत्यावेदन के अनुसरण में, यहां याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.07.2016 को सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख सचिव के समक्ष एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 17.08.2016 को प्रतिवादी के कार्यालय में प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 09.03.2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के उक्त प्रत्यावेदन का निर्णय किया गया और याचिकाकर्ता को दिनांक 01.06.1998 से 05.11.1998 तक वेतन सहित चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया गया, अर्थात् कुल 158 दिनों का अवकाश, क्योंकि उसकी सेवा विवरणिका में यही एकमात्र उपलब्ध चिकित्सा अवकाश था। इसके पश्चात् दिनांक 06.11.1998 से 11.06.2000 तक, अर्थात् याचिकाकर्ता के निलंबन की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए, याचिकाकर्ता को 583 दिनों का बिना वेतन का चिकित्सा अवकाश प्रदान किया गया। तथापि, निलंबन की अवधि अर्थात् दिनांक 12.06.2000 से 22.08.2001 तक, अर्थात् कुल 437 दिनों की निलंबन अवधि के संबंध में, याचिकाकर्ता को उक्त अवधि के लिए केवल निर्वाह भत्ते का अधिकारी माना गया। उपर्युक्त दिनांक 09.03.2017 के आक्षेपित आदेश से क्षुब्ध होकर यहां याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।



10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस न्यायालय द्वारा रिट-ए संख्या 60572 सन् 2005 में दिनांक 10.07.2016 के आदेश द्वारा जारी निर्देश के अनुसार याचिकाकर्ता 1,178 दिनों के चिकित्सा अवकाश का अधिकारी था और चूंकि उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली गई थी तथा उसके विरुद्ध कोई दंडादेश पारित नहीं किया गया था, अतः याचिकाकर्ता को स्वीकृत अवकाश के दृष्टिगत दिनांक 12.06.2000 से 22.08.2001 तक बिना निलंबन के सेवा में निरंतर माना जाना चाहिए था। अतः याचिकाकर्ता को आक्षेपित आदेश द्वारा निर्देशित निर्वाह भत्ते के स्थान पर पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए था।

11. याचिकाकर्ता का आगे यह भी मामला है कि उक्त अवधि का निर्वाह भत्ता भी याचिकाकर्ता को भुगतान नहीं किया गया है।

12. निर्वाह भत्ते के भुगतान न किए जाने के संबंध में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दिनांक 16.05.2017 के उस पत्र पर भरोसा किया है, जो प्रबंधक, सिंचाई कार्यशाला प्रभाग, इलाहाबाद द्वारा मुख्य अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, इलाहाबाद के कार्यालय के वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी को जारी किया गया था। उक्त पत्र याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर शपथपत्र के साथ संलग्नक आर.ए.-2 के रूप में संलग्न है।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे दिनांक 24.08.1977 के शासनादेश पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि एक बार प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात्, याचिकाकर्ता को उसके लिए अनुमन्य पेंशन संबंधी एवं सेवानिवृत्तिक देयों की गणना के प्रयोजनार्थ 5 वर्ष की अतिरिक्त सेवा अवधि जोड़े जाने का अधिकार है, जब तक कि ऐसे कर्मचारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध न हो। चूंकि याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा संदिग्ध नहीं है, अतः वह याचिकाकर्ता को उपलब्ध सेवानिवृत्तिक देयों की गणना के प्रयोजनार्थ 5 वर्ष की अतिरिक्त सेवा जोड़े जाने का अधिकारी है।

14. उक्त तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **डॉ. बृजेश कुमार शुक्ला बनाम निदेशक, पेंशन, निदेशालय, उ.प्र., लखनऊ, 2014 (5) ए.डी.जे. 668 डी.बी.** में प्रतिवेदित निर्णय पर भरोसा किया है।



15. राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा रिट-ए संख्या 60572 सन् 2005 में दिनांक 12.07.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में, वेतन सहित उपलब्ध समस्त चिकित्सा अवकाश पहले ही याचिकाकर्ता को प्रदान किया जा चुका है तथा इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता को उसके निलंबन की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए बिना वेतन का चिकित्सा अवकाश भी प्रदान किया गया है। तथापि, निलंबन की अवधि के लिए यदि याचिकाकर्ता को चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जाता, तो वह बिना वेतन का चिकित्सा अवकाश होता। ऐसी स्थिति में निलंबन की अवधि के लिए याचिकाकर्ता का मामला केवल निलंबन अवधि के निर्वाह भत्ते के भुगतान तक सीमित रखा गया है। यदि उक्त निलंबन अवधि के लिए भी चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जाता, तो याचिकाकर्ता को निर्वाह भत्ता भी प्राप्त नहीं होता और ऐसा चिकित्सा अवकाश बिना वेतन के ही स्वीकृत किया जाना था। अतः आक्षेपित आदेश के संबंध में याचिकाकर्ता को कोई शिकायत नहीं हो सकती।

16. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि जहां तक शासनादेश दिनांक 24.08.1977 के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा पांच वर्ष की सेवा जोड़े जाने के दावे का संबंध है, जो वर्तमान रिट याचिका में संलग्नक संख्या 21 के रूप में संलग्न है, राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सन् 1977 के शासनादेश के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभ अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि विवेकाधीन थे। अतः याचिकाकर्ता उक्त लाभों का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता। आगे राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह इंगित किया गया कि उक्त लाभ शासनादेश दिनांक 08.12.2008 द्वारा पहले ही वापस ले लिया गया है। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 08.12.2008 के दृष्टिगत अब याचिकाकर्ता को उक्त लाभ विवेकाधीन राहत के रूप में भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने की प्रार्थना की।



17. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के पश्चात् इस न्यायालय ने मामले के अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। मामले के तथ्य उपर्युक्त अभिलिखित किए जा चुके हैं।

18. वर्तमान मामले में यह स्वीकृत स्थिति है कि दिनांक 01.06.1998 से 11.06.2000 तक याचिकाकर्ता अपनी चिकित्सीय स्थिति के कारण अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित था। तथापि, आवश्यक प्रासंगिक प्रमाण-पत्र उपलब्ध न होने तथा शासनादेश दिनांक 28.07.1989 के साथ-साथ सिविल सेवा विनियमावली के खंड 419-ख एवं 487 के अनुसार याचिकाकर्ता को चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने के लिए विश्वसनीय चिकित्सा प्रमाण-पत्र उपलब्ध न होने के कारण याचिकाकर्ता को दिनांक 12.06.2000 से निलंबित कर दिया गया। तथापि, बाद में याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल पूर्ववर्ती याचिकाओं के क्रम में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 17.05.2000 को प्रस्तुत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और याचिकाकर्ता को स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इस प्रकार, उसे सेवा में निरंतर माना गया। यद्यपि याचिकाकर्ता को चिकित्सा अवकाश स्वीकृत न किए जाने के कारण अनधिकृत अवकाश के लिए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, किंतु एक बार याचिकाकर्ता को दिनांक 23.08.2001 के आदेश द्वारा चिकित्सा अवकाश स्वीकृत कर दिए जाने के पश्चात् निलंबन आदेश भी निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल रिट याचिका के दूसरे चरण में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, याचिकाकर्ता को दिनांक 01.06.1998 से 11.06.2000 तक का चिकित्सा अवकाश पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। यद्यपि दिनांक 01.06.1998 से 05.11.1998 तक का अवकाश वेतन सहित तथा दिनांक 06.11.1998 से 11.06.2000 तक का अवकाश बिना वेतन स्वीकृत किया गया है। तथापि, चूंकि याचिकाकर्ता निलंबनाधीन था और अन्यथा भी यह स्वीकार किया गया है कि अपनी चिकित्सीय स्थिति के कारण वह कार्य करने की स्थिति में नहीं था, अतः दिनांक 12.06.2000 से 22.08.2001 तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता का दावा केवल निर्वाह भत्ते तक सीमित था। यदि दिनांक 12.06.2000 से 22.08.2001 तक की उक्त अवधि के लिए याचिकाकर्ता को निर्वाह भत्ता स्वीकृत करने के स्थान पर बिना वेतन का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया जाता,

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



तो वह निर्वाह भत्ते का भी अधिकारी नहीं होता। इस दृष्टिकोण से, इस न्यायालय को दिनांक 09.03.2017 के आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं मिलती है।

19. तथापि, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है, सिंचाई कार्यशाला प्रभाग, इलाहाबाद के प्रबंधक (सिंचाई) द्वारा लिखे गए दिनांक 16.05.2017 के पत्र से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को ₹1,55,231/- की सीमा तक निर्वाह भत्ते की राशि का भुगतान स्वीकृत किया गया था। तथापि, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त राशि का भुगतान अभी तक याचिकाकर्ता को नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, यदि उपर्युक्त राशि का भुगतान याचिकाकर्ता को नहीं किया गया है, तो प्रतिवादियों द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त राशि का भुगतान याचिकाकर्ता को सुनिश्चित किया जाएगा।

20. जहां तक दिनांक 24.08.1977 के शासनादेश के अनुसार याचिकाकर्ता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार किए जाने के कारण उसे पांच वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे का प्रश्न है, दिनांक 24.08.1977 के शासनादेश का संज्ञान लेना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है:

“महत्वपूर्ण शासनादेश

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-1, संख्या 5/7/77 (3)-कार्मिक-1, लखनऊ, दिनांक 24 अगस्त, 1977

विषय— स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन आदि में अतिरिक्त

सेवा के लाभ का दिया जाना।

**कार्यालय ज्ञाप**

महोदय,



- 1- मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल 56 (संशोधन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1976) द्वारा संशोधित मूल नियम 56 के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष हो गई है। इसके साथ ही उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा मूल नियम 56 के खंड (ख) में बढ़ाए गए प्रतिबंधात्मक खंड में यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि जहां कोई सरकारी सेवक जो इस नियम के अधीन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है या जिसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने की अनुज्ञा दी जाती है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी उसे पेंशन और उपदान के, यदि कोई हो, प्रयोजनार्थ पांच वर्ष की या ऐसी अवधि की, जिसमें वह कार्य करता होता, यदि वह अपनी अधिवर्षता की आयु की साधारण दिनांक तक रहता, जो भी कम हो, अतिरिक्त सेवा के लाभ की अनुज्ञा दे सकता है। सामान्यतः अतिरिक्त सेवा का उक्त लाभ सभी सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगा, किन्तु अत्यधिक परिस्थितियों में, जहां किसी सेवक की चरित्र पंजी से उसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रकट हो, यह लाभ अनुमन्य न होगा।
- 2- उक्त प्रावधान से यह विदित होता है कि यदि कोई सरकारी सेवक, जिसकी अधिवर्षता आयु 50 वर्ष है, 45 वर्ष या अधिक, किन्तु 53 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर स्वेच्छा सेवानिवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, तो उसको पेंशन तथा उपादान, यदि कोई हो, के प्रयोजन के लिए पाँच वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जा सकता है। यदि कोई सरकारी सेवक 53 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसी समय स्वेच्छा सेवानिवृत्त होता है या स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, तो उसको पाँच वर्ष से कम, उतनी ही अवधि की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जा सकता है, जितनी अवधि में वह अधिवर्षता की साधारण तारीख तक सेवा में रहता। यद्यपि उक्त प्रावधान के फलस्वरूप किसी सरकारी सेवक को पाँच वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जायेगा, तथापि पेंशन तथा उपादान के आगणन हेतु उसकी परिलब्धियाँ वही मानी जायेंगी जो वह स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने के दिनांक को प्राप्त कर रहा था। अवर सेवा के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिसकी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है, ऊपर उल्लिखित उपबन्ध लागू होंगे।

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



3- आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखें तथा अपने अधीनस्थ समस्त पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों की जानकारी में संशोधित मूल नियम 56 के उपर्युक्त प्रावधान भली प्रकार ला दें तथा यह निर्देश दे दें कि स्वेच्छा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को उपर्युक्त सुविधा का लाभ देने के लिए आवश्यक कार्यवाही तत्परता से यथाशीघ्र करें।”

21. उपर्युक्त शासनादेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर यह छोड़ दिया गया है कि वह किसी सरकारी सेवक को पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिक देयों के प्रयोजनार्थ अधिवर्षता की आयु से पूर्व की अवधि में, जो भी पहले हो, पाँच वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ प्रदान कर सकता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि सामान्यतः ऐसी अतिरिक्त सेवा का लाभ सभी सरकारी सेवकों को उपलब्ध होगा। तथापि, यदि किसी सरकारी सेवक की सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो, तो ये लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे।

22. वर्तमान मामले में, यद्यपि याचिकाकर्ता के चिकित्सा अवकाश को स्वीकृत न किए जाने के कारण अनधिकृत अवकाश के आधार पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, जिसे बाद में न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में स्वीकृत कर दिया गया, तथापि प्रतिवादियों की ओर से ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा कभी संदिग्ध रही थी। इस दृष्टिकोण से, याचिकाकर्ता पाँच वर्ष की अतिरिक्त सेवा का अधिकारी है।

23. उपर्युक्त के दृष्टिगत, शासनादेश दिनांक 24.08.1977 के अनुसार, याचिकाकर्ता को उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार किए जाने के पश्चात् पेंशन तथा याचिकाकर्ता को उपलब्ध अन्य सेवानिवृत्तिक देयों की गणना के प्रयोजनार्थ 5 वर्ष की सेवा जोड़े जाने का अधिकार है। यद्यपि प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उक्त लाभ शासनादेश दिनांक 08.10.2008 द्वारा पहले ही वापस ले लिया गया है, तथापि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता यह प्रदर्शित करने की स्थिति में नहीं हैं कि उक्त शासनादेश दिनांक 08.10.2008 पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू है। जब उक्त शासनादेश अपनी प्रयोज्यता के संबंध में मौन है, तो यह मानना होगा कि वह भावी प्रभाव से लागू होगा।



24. शासनादेश दिनांक 24.08.1977 तथा शासनादेश दिनांक 08.10.2008 पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने **डॉ. बृजेश कुमार शुक्ला** (उपर्युक्त) के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“9. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जिस परंतुक 56 क पर अत्यधिक बल देते हुए भरोसा किया गया है, उसके अवलोकन से हम पाते हैं कि नियुक्ति प्राधिकारी को किसी ऐसे कर्मचारी के संबंध में, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है, पेंशन आदि की गणना के प्रयोजनार्थ पाँच वर्ष की अवधि अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य अवधि जोड़ने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है। इसी प्रावधान के संदर्भ में पूर्व में दिनांक 24.8.1977 का शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के मामले में पेंशन के प्रयोजनार्थ पाँच वर्ष की सेवा जोड़े जाने का प्रावधान किया गया था, किंतु इसके पश्चात् स्थिति बदल गई। छठे वेतन आयोग तथा वेतन पुनरीक्षण समिति की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने कर्मचारियों को देय पेंशन, उपादान आदि के लाभों में भी संशोधन किया। इस प्रयोजनार्थ जारी दिनांक 8.12.2008 के शासनादेश के खंड 6 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

“6. अर्हकारी सेवा से अतिरिक्त सेवा की गणना

उपरोक्त प्रस्तरों 1 से 5 में उल्लिखित पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सेवा को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा में गणना की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तथा संबंधित नियम तदनुसार संशोधित समझा जाएगा।”

10. शासनादेश के सरल पठन से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले व्यक्ति के मामले में पेंशन की गणना के प्रयोजनार्थ पाँच वर्ष की अतिरिक्त सेवा जोड़ने के पूर्ववर्ती प्रावधान को वापस लेने का निर्णय किया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि इस संबंध में संबंधित नियम को तदनुसार संशोधित समझा जाएगा।



11. जब तक शासनादेश दिनांक 8.12.2008 अभिलेख पर विद्यमान है, तब तक दिनांक 27.2.2009 के आदेश में शासनादेश दिनांक 24.8.1977 (जिसे आदेश में गलत रूप से 24.1.1977 उल्लिखित किया गया है) के अनुसार याचिकाकर्ता की पेंशन की गणना के मामले में पाँच वर्ष की सेवा जोड़े जाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि दिनांक 27.2.2009 का आदेश जारी किए जाने की तारीख को शासनादेश दिनांक 8.12.2008 द्वारा उक्त सुविधा पहले ही वापस ली जा चुकी थी। इससे न्यायालय के समक्ष दूसरा मुद्दा आता है, अर्थात् वर्तमान रिट याचिका की प्रार्थना संख्या 2 के माध्यम से शासनादेश दिनांक 8.12.2008 को दी गई चुनौती।

12. शासनादेश को चुनौती देने के लिए प्रस्तुत एकमात्र आधार यह है कि इसका पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता और यह नियम 56- क के वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। हमारी राय में, याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत दोनों तर्क पूर्णतः गलतफहमी पर आधारित हैं। न तो आक्षेपित शासनादेश को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है और न ही वर्तमान मामले के तथ्यों में इस मुद्दे का कोई संबंध है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2009 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, जबकि शासनादेश दिनांक 8.12.2008 पहले ही प्रभावी हो चुका था।

13. जहां तक मूल नियमों के वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन के आधार पर चुनौती का प्रश्न है, हम पाते हैं कि फंडामेंटल रूल्स का नियम 56- क (द) का परंतुक स्वयं नियुक्ति प्राधिकारी को कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में अतिरिक्त सेवा अवधि जोड़े जाने का ऐसा लाभ प्रदान करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रावधान के संदर्भ में पूर्ववर्ती शासनादेश दिनांक 24.8.1977 जारी किया गया था। यदि बाद के शासनादेश द्वारा उक्त सुविधा वापस ले ली गई है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार ने वैधानिक प्रावधानों के विपरीत कार्य किया है।”

25. उपर्युक्त के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका निम्नलिखित निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है:



(i) प्रतिवादी ₹1,55,231/- की राशि, जो दिनांक 12.06.2000 से 22.08.2001 तक की अवधि (437 दिनों की निलंबन अवधि) के लिए निर्वाह भत्ता है और जिसका भुगतान याचिकाकर्ता को सिंचाई कार्यशाला प्रभाग, इलाहाबाद के प्रबंधक (सिंचाई) द्वारा दिनांक 16.05.2017 के अपने पत्र के माध्यम से पहले ही निर्धारित किया जा चुका है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान करेंगे, यदि उसका भुगतान पहले से नहीं किया गया है।

(ii) प्रतिवादी शासनादेश दिनांक 24.08.1977 के अनुसार याचिकाकर्ता को उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार किए जाने की तारीख अर्थात् 23.08.2001 से पाँच वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ प्रदान करेंगे, जिसका उद्देश्य पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिक देयों की गणना एवं भुगतान करना होगा। याचिकाकर्ता को पाँच वर्ष की सेवा जोड़कर पेंशन एवं सेवानिवृत्तिक देयों की गणना किए जाने के पश्चात् जो भी राशि देय हो, उसका भुगतान भी इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता)

13 अगस्त, 2026

शुभम आर्य